संघे शक्ति कलयुगे

मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला सिवनी

(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)

पंजीयन क्र. 3473 दि. 12.11.73 एवं शासन से मान्यता प्राप्त दि. 16.11.96

संरक्षक
दिनेश पटले
आनंद कुडोपा

कोषाध्यक्ष
राहुल साहू

सहकोषाध्यक्ष
हीरालाल डेहरिया

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
साहब लाल डेहरिया

उपाध्यक्ष
भूपेन्द्र उइके
विजय कुशराम
ममता ब्रम्हे

सहसचिव
गौरव मेश्राम

संगठन मंत्री
संदीप उइके
गौतम परते
देविका ठाकुर
सतीश सोनी

सदस्यता प्रभारी
दीपेन्द्र मर्सकोले
रोहित मिश्रा
अमित गोंडाने

अनुशासन समिति
कौशलकिशोर शर्मा
महेन्द्र बट्टी
अर्जुन बघेल
नरेन्द्र साहू
धर्मेद्र उइके

मिडिया प्रभारी

कार्यवाहक अध्यक्ष	सचिव
दीपक दुबे	संदीप मुरापे
मो. 8819899270	मो. 7509345438

प्रति ,

श्रीमान कलेक्टर महोदया

जिला-सिवनी (म.प्र.)

विषय:- फार्मर रजिस्ट्री एवं आर.ओ.आर. ईकेवायसी(ROR EKYC) करने पर आ रही समस्या से अवगत किये जाने के संबंध में।

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि फार्मर रजिस्ट्री एवं आर.ओ.आर. ईकेवायसी(ROR EKYC) निम्मानुसार व्यवहारिक समस्याएं आ रही है जो कि बिंदुवार निम्मानुसार है-

1 **आर.ओ.आर. ईकेवायसी (ROR EKYC)-**

यदि एक खाते/खसरे में 25 खातेदारों के नाम दर्ज है और लगभग 20 खातेदारों की ईकेवायसी पूर्ण की जा चुकी है,ऐसे खातों में फौती/ नामांत्रण,डाटा परिमार्जन आदि अनुपालन किये जाने पर सारे के सारे खातेदारों के नाम पुनः ईकेवायसी हेतु प्रदर्शित होने लगते है। इस प्रक्रिया के कारण ROR EKYC की प्रगति न्यून हो जाती है।

2 **फार्मर रजिस्ट्री -** .

1.वेबजीआईएस (WEBGIS) पोर्टल में डाटा परिमार्जन में किसी खाते में 5 से अधिक खातेदारों के होने पर डाटा परिमार्जन अनिर्धारित हिस्सा डालकर किया जा सकता है,प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट हिस्सा भरने की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु फार्मर रजिस्ट्री में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट हिस्सा भरा होने पर ही फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। चूँकि अधिकांश शामिल खातों में अनिर्धारित हिस्सा में परिमार्जन होने के कारण फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण नही हो पा रहा है।

2.जिन शामिल खातों में अनिर्धारित हिस्से के सुधार हेतु विशिष्ट हिस्सा भरकर पुनः डाटा परिमार्जन किया जाता है तो उक्त खाते के सभी खातेदारों के नाम पुनः EKYC हेतु नाम प्रदर्शित होने लगते है,इसके साथ ही उक्त डाटा फार्मर रजिस्ट्री में तुरंत प्रदर्शित नहीं होता है,जिससे फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

3. जिला सिवनी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिससे अधिकांश हितग्राही अन्य जिलो/राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन करने रहते है,जिससे फार्मर रजिस्ट्री एवं आर.ओ.आर. ईकेवायसी का कार्य प्रभावित होता है।

4. हितग्राहियों के आधार कार्ड में मोबाईल नंबर अपडेट न होना,मोबाईल न होना एवं परिवार में एक ही मोबाईल होने से भी उक्त कार्य प्रभावित हो रहा है।

5.ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क एवं सर्वर की समस्या का उत्पन्न होने से भी उक्त कार्य प्रभावित है।

पवन श्रीवास्तव
प्रवक्ता
संदीप श्रीवास्तव
अनिल धुर्वे
सुबोध दुबे
अभिषेक जायसवाल
अजय गजभिये
सरिता मर्सकोले

6. फार्मर रजिस्ट्री एवं आर.ओ.आर. ईकेवायसी(ROR EKYC) हेतु ग्राम कोटवारो द्वारा प्रतिदिन ग्रामों में मुनादी की जा रही है एवं वट्सअप ऐप ग्रुप,स्टेटस,सोशल मीडिया एवं दूरभाष संपर्क द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है । लोकल यूथ एवं पटवारियों द्वारा घर-घर जाकर एवं नजदीकी सीएससी सेंटर संचालकों द्वारा दोनों कार्य किये जा रहे है,किन्तु वर्तमान समय में रबी वर्ष 2025 फसल कटाई एवं कृषि कार्यो में व्यस्त है। जिससे फार्मर रजिस्ट्री एवं आर.ओ.आर. ईकेवायसी(ROR EKYC) का कार्य प्रभावित हो रहा है।

जिलाध्यक्ष
म.प्र. पटवारी संघ जिला सिवनी

म. प्र. शासन के सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक ऐप 10/97/15 भोपाल दिनांक 29.05.98 एवं सेवा संघ नियम 1976 के नियम 3 के अंतर्गत पत्रों का उत्तर दिया जाना अनिवार्य है